न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमानाराम आर.ए.एस.

मुकदमानम्बर : 01/2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1.दरियाव कंवर पत्नि रणजीतसिंह 2.रणजीतसिंह पुत्र कानसिंह जतियान– राजपुत, निवासीगण झाब तहसील चितलवाना		राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना जिला जालोर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

निर्णय दिनांक :– 19/05/2023

उपस्थित :

1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सदराम विश्नोई।
2. अप्रार्थी (राजपेरोकार) तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि हम प्रार्थीगण की सामलाती भूमि ग्राम बोरली तहसील चितलवाना में आयी हुई है जिसके पुराने खसरा संख्या 539 रकबा 1 बीघा 6 बीस्वा व खसरा संख्या 542 रकबा 17 बीघा 17 बीस्वा कृषि भूमि आई हुई है। जिसके नये खसरा संख्या 808 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 817 रकबा 2.76 हैक्टर, ,खसरा संख्या 817/853 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा संख्या 815 रकबा 0.62 हैक्टर में से 0.23 हैक्टर जुमले रकबा 3.10 हैक्टर में से हमारे खाते में 2.87 हैक्टर भूमि ही दर्ज हुई है एवं 0.23 हैक्टर भमि सरकार के खाते में पगडंडी के रूप में दर्ज कर दी है जहां अभी रोड़ है। इस प्रकार द्वितिय सेटलमेन्ट में प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत के पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर बनाते वक्त सेटलमेन्ट नक्शा तैयार करते समय प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि के पुराने खसरा संख्या संख्या 539 व 542 के बीच चलने वाली सड़क मार्ग को उसकी जगह पर पूर्वतः नक्शे में दर्ज नही किया तथा उसको प्रार्थीगण के खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 539 में दर्शाते हुए नक्शा बना दिया तथा नवीन सेटलमेन्ट नक्शे में सड़क मार्ग को बिना वजह प्रार्थीगण की खातेदारी में गलती से दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत का रकबा खतोनी बन्दोबस्त में गलती से कम हो गया तथा नक्शा गलत बन गया। जबकि द्वितिय सेटलमेन्ट केवल प्रथम सेटलमेन्ट के द्वारा दर्ज की गयी प्रविष्टियों को दोहराने का ही काम कर सकती है। इस प्रकार द्वितिय सेटलमेन्ट के नक्शे में प्रार्थीगण के दोनों खसरा संख्या के बीच चलने वाले सड़क मार्ग को उसके यथास्थान नक्शे में दर्ज नही किया गया है। जो गलती द्वितिय सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गयी है तथा नक्शा प्रार्थीगण के खातेदारी के खातेदारी के रकबे में दर्ज हो गया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:31:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर)

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना 19/5/23

यथास्थान पर पूर्वतः दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग की गलती से नये सेटलमेन्ट का नक्शा गलत बन गया है तथा गलत नक्शे की वजह से प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा 3.10 हैक्टर के स्थान पर 2.87 हैक्टर दर्ज किया गया है जिसमें 0.23 हैक्टर कम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी के पुराना खसरा संख्या 539 से बने नये खसरा संख्या 817/853 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 808 रकबा 0.02 हैक्टर दर्ज किया जावे व पुराने खसरा संख्या 542 रकबा 17 बीघा 17 बीस्वा के नये सर्जित खसरा संख्या 817 का रकबा 2.89 हैक्टर दर्ज कर खसरा संख्या 817/853, 808 व 817 के मध्य रास्ता दर्ज किया जावे व जुमले रकबा 3.10 हैक्टर दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा 3.10 हैक्टर भूमि पर है जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की है व ट्रेस नक्शे में प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में सड़क मार्ग दर्शाने की लाईन हटाकर नक्शा व जमाबन्दी में संशोधन कर सड़क मार्ग को यथास्थान पूर्वतः नक्शे में दर्ज करने व प्रार्थीगण के खातेदारी का रकबा 2.87 के स्थान पर 3.10 हैक्टर दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी राजपेरोकार तहसीलदार चितलवाना द्वारा जवाब पेश किया। जवाब अनुसार प्रार्थीगण के नाम मौजा बोरली में खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 808 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 817 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा संख्या 817/853 रकबा 0.09 हैक्टर, कुल रकबा 2.87 हैक्टर दर्ज है। उक्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 539 रकबा 1 बीघा 6 बीस्वा एवं खसरा संख्या 542 रकबा 17 बीघा 17 बीस्वा कुल रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा था। पुराने खसरा संख्या 539 व 542 के बिच रास्ता नक्शे मे दर्ज था। वर्तमान में रास्ता खातेदारी खेत खसरा संख्या 817 की माठ पर पश्चिम में इन्द्राज है जो द्वितिय भूप्रबंध द्वारा तरमीम है। यह सही है कि द्वितिय भूप्रबंध करे आराजी के स्थान परिवर्तन के अधिकार नही है। रास्ता परिवर्तन द्वितिय भूप्रबंधन द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण के नवसृजित खसरा संख्या का कुल रकबा पुराने रकबे से कम दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण के खातेदारी का रकबा 0.23 हैक्टर वर्तमान में कम दर्ज हुआ है। तरमीम द्वितिय भूप्रबंध से पूर्वानुसार की जाकर वर्तमान खसरा संख्या 817/853 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 808 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 817 रकबा 2.89 हैक्टर के मध्य पुराने रेकर्ड अनुसार रास्ता दर्ज किया जाकर प्रभावित कर पूर्व स्थिति रकबा व तरमीम की जानी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा संख्या 808, 817/853, रकबा क्रमशः 0.02 हैक्टर, 0.09 हैक्टर एवं खसरा संख्या 817 रकबा 2.76 हैक्टर खाते में दर्ज है, जिसके पुराने खसरा संख्या 539 व 542 रकबा क्रमशः 1 बीघा 6 बीस्वा व 17 बीघा 17 बीस्वा कुल रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा है। प्रार्थीगण के पुराने खसरा संख्या 539 व 542 के मध्य पुराना खसरा संख्या 540 रकबा 17

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जालोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
15/5/23
चितलवाना

बीस्वा दर्ज है। प्रार्थीगण के पुराने खसरा संख्या 539 व 542 कुल रकबा 19 बीघा 3 बीस्वा अर्थात 3.10 हैक्टर वर्तमान में होना था जबकि रिकोर्ड में उक्त के नये खसरा संख्या 808 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 817/853 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा संख्या 817 रकबा 2.76 हैक्टर कुल रकबा 2.87 हैक्टर दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खातेदारी में पुराने रिकोर्ड अनुसार द्वितिय भू प्रबन्ध के वक्त 0.23 हैक्टर कम दर्ज किया गया। पुराने खसरा संख्या 540 रकबा 17 बीस्वा जो प्रार्थीगण के पुराने खसरा संख्या 539 व 542 के मध्य स्थित था, उसका वर्तमान खसरा संख्या 815 नवसृजित किया गया है वह पुराने खसरा संख्या 539, 540, 542, 550 व 551 से मिलाकर बनाया गया है इस प्रकार प्रार्थीगण के पुराने खसरा 539 व 542 का रकबा कम किया गया है। पुराना नक्शा में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 539 व 542 के मध्य खसरा संख्या 540 स्थित है जबकि वर्तमान में खसरा संख्या 815 खसरा संख्या 808 व 817/853 के मध्य स्थित है इस प्रकार नक्शे द्वितिय सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर उक्त आराजी को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज कर दिया, जो द्वितिय सेटलमेन्ट वालों ने गलत दर्ज कर दिया है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायासंगत है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोरली तहसील चितलवाना के खसरा संख्या 815 में 0.23 हैक्टर भूमि कम कर खसरा संख्या 808 व 817/853 में 0.10 व खसरा संख्या 817 में 0.13 भूमि जोड़ने एवं खसरा संख्या 815 जो 808 व 817/853 के मध्य स्थित है, उसको 817/853 व 817 के मध्य दुरूस्ति करने के तहसीलदार चितलवाना को आदेश दिया जाता है। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चितलवाना को तहरीर जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे। पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

19/5/23

(हनुमानाराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 19.05.2023 को सरे [illegible] सुनाया गया।

19/5/23

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना जिला–जालोर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:44 IST
Reason: SelfAttested